U

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(बजट अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या : 546 /प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी–1/आवंटन/कैम्प

दिनांक : 27 नवम्बर, 2024

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या ई0 पत्रावली सं0 73212 IRR 2-1/1.9/23/2024-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department/1/254545, दिनांक 21.11.2024 द्वारा अनुदान संख्या–20 के पूंजीलेखा मद में मुख्य लेखाशीर्षक 4711 में नाबार्ड वित्त पोषित बाढ़ सुरक्षा मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन बाढ़ सुरक्षा योजनाओं पर वित्तीय वर्ष 2024–25 में शासन द्वारा कुल रू0 2850.00 लाख (रूपये अठ्ठाईस करोड़ पचास लाख मात्र) का आवंटन प्रमुख अभियन्ता के निर्वतन पर रखते हुये किया गया है ।

अतः उक्त आवंटित धनराशि रू0 2850.00 लाख का आवंटन मुख्य अभियन्तावार/खण्डवार/योजनावार/मदवार निम्नानुसार किया जाता है:–

धनराशि लाख ₹ में

क्र0 सं0	मद का विस्तृत विवरण/ मुख्य अभियन्ता/खण्ड/योजना का नाम	RIDF	आवंटित धनराशि
क	**20/4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 01–बाढ़ नियंत्रण, 103–सिविल निर्माण कार्य, 98–नाबार्ड पोषित, 01–बाढ़ नियन्त्रण कार्य, 53–वृहद निर्माण (4711–01–103–98–01–53)**		
	बाढ़ सुरक्षा कार्य		
	मुख्य अभियन्ता **स्तर–I**, देहरादून		
	सिंचाई **खण्ड**, देहरादून		
1	जनपद देहरादून के विधानसभा में बाडावाली व किशनपुरी में बाल्दी नदी पर बाढ सुरक्षा कार्य।	XXVII	43.37
2	जनपद देहरादून के रायपुर विधानसभा में ग्राम पंचायत मालदेवता के पी0एन0बी0 खाले की एन0पी0–3 पाईप लाईन द्वारा जल निकासी योजना। **(मा0 मु0मं0घोषणा सं0–842/2021)**	XXVIII	60.72
3	नाबार्ड मद के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा रायपुर में ग्राम पंचायत अस्थल में ग्रामीण हाट के पास बाढ़ सुरक्षा कार्य। (घोषणा सं0–1572/2021)	XXVIII	41.92
	योग सिंचाई **खण्ड**, देहरादून		**146.01**
	सिंचाई **खण्ड, कालसी**		
1	जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकराता में तहसील त्यूनी के अन्तर्गत ग्राम गुण्डा (ग्राम पंचायत बनाड बास्तील) में स्टेडियम पोस्टमार्टम हाउस, तहसील एवं बस्ती की टौस नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना । **(मा0मु0मं0 घोषणा संख्या–667/2021)**	XXVIII	50.00
2	जनपद देहरादून के विकासखण्ड कालसी में ग्राम पुरानी कालसी एवं जामुनस्त्रोत में अमलावा नदी से बाढ़ सुरक्षा की योजना। **(मा0मु0मं0 घोषणा संख्या–666/2021)**	XXVIII	75.00
3	जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकराता में तहसील त्यूनी के अन्तर्गत ग्राम गुण्डा (ग्राम पंचायत बृनाड़ एवं बस्तील) में स्टेडियम, पोस्टमार्टम हाउस, तहसील एवं बस्ती की टोंस नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना (बायें तट पर) पार्ट–3) (घोषणा सं0–667/2021)	XXIX	175.00
	योग सिंचाई **खण्ड**, कालसी		**300.00**
	सिंचाई **खण्ड**, उत्तरकाशी		
1	जनपद उत्तरकाशी के भटवाडी विकास खण्ड में स्वारी गाड भूस्खलन क्षेत्र के अन्तर्गत बरसू गांव की सुरक्षा योजना (घोषणा संख्या 187/2017)	XXV	50.00
2	Project for construction of flood Protection Work along left Bank of Bhagirathi river at Tala Tok of Jamak village in Bhatwari block, Distt Uttarkashi.(CM Announcement No 41/2023)	XXIX	250.00

स0	मद का विस्तृत विवरण/ मुख्य अभियन्ता/खण्ड/योजना का नाम	RIDF	आवंटित धनराशि
4	**जनपद** पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मुनस्यारी में सिमगड नदी के बाये किनारे **पर स्थित घटन(नाचनी) गांव की सिमगड़ नदी से सुरक्षा हेतु बाढ सुरक्षा प्रायोजना।** (घोषणा **संख्या–1368/2021**)	XXIX	50.00
5	**जनपद** पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मुनस्यारी में **ग्राम** सुरिंग के तोक बलोटा **से रोथी तक बलोटा नाले से सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य का प्राक्कलन।** (घोषणा **सं0–1261/2021**)	XXIX	40.00
	योग सिंचाई **खण्ड, धारचूला**		**235.00**
	सिंचाई **खण्ड,** पिथौरागढ़		
1	**Project for flood protection scheme of Thal village st right bank of Ramganga river in Berinag block of distt. Pithoragarh**	XXVII	14.12
2	**जनपद** पिथौरागढ़ के विकासखण्ड बेरीनाग में रामगंगा नदी के दायें पार्श्व **पर थल पुल के अपस्ट्रीम में स्थित ग्राम थल कस्बे की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना। (मा0मु0मं0 घोषणा संख्या–437/2019)**	XXVIII	125.00
3	**जनपद** पिथौरागढ़ के विकासखण्ड डीडीहाट के अन्तर्गत **थल** कस्बे में **धामीगावं ग्राम पंचायत बलतिर की सुरक्षा हेतु रामगंगा नदी के बायें पार्श्व (रामगंगा मोटर पुल से डाउनस्ट्रीम भाग) पर बाढ़ सुरक्षा की योजना का प्राक्कलन। (घोषणा सं0–437/2019)**	XXVIII	100.65
4	**ग्राम रामपुर की सुरक्षा हेतु सरयू नदी** के बायें पार्श्व **पर बाढ़ सुरक्षा प्रायोजना। (घोषणा सं0–944/2021)**	XXIX	125.00
	योग सिंचाई **खण्ड,** पिथौरागढ़		**364.77**
	योग **मुख्य** अभियन्ता **स्तर–।।,** अल्मोड़ा		**944.77**
	कुल योग नाबार्ड		**2850.00**

(रूपये अठ्ठाईस करोड़ **पचास लाख मात्र**)

उपरोक्त आवंटित बजट का उपभोग शासनादेश ई0 पत्रावली सं0 73212 IRR 2-1/1.9/23/2024-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department/1/254545, दिनांक 21.11.2024 में उल्लिखित निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगा :–

1- सम्बन्धित धनराशि का व्यय उसी योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है । धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होंगे।
2- धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
3- धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।
4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरण व व्यय में वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–201358/09(150)/2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 में निर्धारित शर्तो के साथ–साथ बजट मैन्युल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 संशोधित नियमावली के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रुप से पालन किया जाय।
5- जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।
6- सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण बी0एम0–10 पर प्रतिमाह प्रमुख अभियन्ता कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।
7- कार्य की समययद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रुप से उत्तरदायी होगे।

कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आंगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9- विभाग द्वारा नाबार्ड के अन्तर्गत समस्त गाईड लाईन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10- व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिन कार्यों हेतु धनावंटन किया गया है। वे कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से वित पोषित/स्वीकृत न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा ।

11- उपर्युक्त उल्लिखित शर्तों अथवा उल्लिखित धनराशि के सम्बन्ध में यदि कोई भी अस्पष्टता अथवा भ्रम की स्थिति प्रतीत हो रही हो तो, शासन से वस्तुस्थिति तत्काल स्पष्ट करा ली जाय।

12- रू0 एक करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं के सम्बन्ध में विभागीय समिति की बैठकों में लिये गये निर्णयों/निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

13- कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उक्त स्थल की Geo Tagging तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य का Third Party Audit कराया जाय।

14- उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में उक्त योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु मुख्य अभियन्ता स्तर-2 एवं सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

15- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2025 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

(जयपाल सिंह)
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांकः 546 /प्र0अ0/बजट/बी-1/तदिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. वित्त नियन्त्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त धनराशि की साख सीमा अपने स्तर से निर्गत करने का कष्ट करें तथा साख सीमा की प्रति बजट अनुभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य अभियन्ता स्तर-।।, देहरादून/श्रीनगर/हरिद्वार/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
5. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

27-11-24

(डी0एस0 कछवाहा)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (बजट)
कृते प्रमुख अभियन्ता